12.00 NOON

(MR. CHAIRMAN *in the Chair)*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Inclusion of National Law Universities in the list of Institutes of National Importance

*196.SHRI NARAYAN LAL PANCHARIYA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether any steps have been taken by the Ministry to include all the National Law Universities in the list of Institutes of National Importance, if so, the details thereof; and

(b) whether Government is planning to form a Committee under the Ministry to conduct a single entrance examination and supervise the affairs of all the National Law Universities and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): (a) and (b) Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) No, Sir. The National Law Universities have been established under various State Acts and the same are administered by those states. For the present there is no such proposal to grant them the status of Institutes of National Importance.

(b) No, Sir. National Law Universities have already entered and signed a Memorandum of Understanding (MoU) thereby institutionalizing a Common Law Admission Test (CLAT) for conducting entrance examinations. Following this, admissions in National Law Universities are done by means of a Central entrance examination through CLAT. 18 out of 21 National Law Universities accept CLAT scores for admissions.

श्री नारायण लाल पंचारियाः सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में ऐसा बताया है कि सभी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय राज्यों के अधिनियम द्वारा स्थापित किए गए हैं। इनका स्टेटस राज्य विश्वविद्यालय का है और इनको अनुदान भी राज्य सरकारों द्वारा ही मिलता है। क्योंकि सभी राज्य इन विश्वविद्यालयों को पर्याप्त अनुदान देने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए इसका परिणाम यह होता है कि विद्यार्थियों पर फीस का अत्याधिक भार पड़ता है। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि विद्यार्थियों पर पड़ने वाले इस भार को कम करने के लिए क्या सरकार कोई कदम उठा रही है?

श्री प्रकाश जावडेकरः सभापति जी, पहली बात तो यह है कि ये राज्यों की युनिवर्सिटीज़ हैं, these are State Public Universities. National Law Universities are State Public

Universities. Therefore, the State is empowered to regulate them. We don't regulate them from there, from the Central Government. UGC gives them the power to give degrees.

श्री नारायण लाल पंचारियाः सभापति जी, मेरा दूसरा प्रश्न है। राज्यों के अधिनियम द्वारा स्थापित होने के कारण सभी राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक तंत्र में एकरूपता नहीं है। इन सभी विश्वविद्यालयों की फीसों की संरचना भी अलग-अलग है। कुछ विश्वविद्यालयों में तो राज्यों के छात्रों के लिए भी सीटें आरक्षित हैं। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय होने के उपरांत भी इन सभी में समानताएँ बहुत कम हैं। इस कारण विद्यार्थियों को कई बार बड़ी भारी असमानता का सामना करना पड़ता है। कई बार विद्यार्थी एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण चाहते हैं, लेकिन वह हो नहीं सकता है और वर्तमान में तो ऐसा होना बिल्कुल ही संभव नहीं है। इसी प्रकार से यदि कोई प्राध्यापक भी स्थानांतरण कराना चाहता है, तो वह भी संभव नहीं होता है। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इन विश्वविद्यालयों में एकरूपता लाने की दृष्टि से कोई कदम उठाएगी? इनमें समान परीक्षाएँ हो रही हैं। 21 विश्वविद्यालयों में से करीब 18 विश्वविद्यालयों में एक साथ, समान परीक्षाएँ लेकर ही एडमिशन होते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इनमें एकरूपता लाने का कोई विचार रखती है?

श्री प्रकाश जावडेकरः सभापति जी, ये 21 युनिवर्सिटीज़ हैं। जहां तक Common Admission Test की बात है, तो उन्होंने अपना एक एम.ओ.यू. बनाया है। जैसे आईआईएम के लिए CAT होता है, वैसे ही इसमें CLAT होता है। ये 18 युनिवर्सिटीज़ इसको मानती हैं और सामूहिक रूप से एन्ट्रेंस की परीक्षा आयोजित करते हैं। 3 युनिवर्सिटीज़ इससे बाहर हैं। एडमिशन टेस्ट कैसे करें, यह उनका विषय है है, इसलिए हम उन्हें केवल दिशा दे सकते हैं, उनसे कह सकते हैं, लेकिन हम उन्हें रेग्युलेट नहीं कर सकते हैं।

सभापति जी, जहाँ तक ग्रांट्स का प्रश्न है, जो सवाल पहले पूछा था, उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि हमने आज तक 12 युनिवर्सिटीज़ को लगभग 40 करोड़ से भी अधिक रुपये रिलीज़ किए हैं, इसलिए पैसे, जो कि यूजीसी की ग्रांट होती हैं, हम उन्हें वह ग्रांट देते हैं और हमने उनको 45 करोड़ से ज्यादा रुपये दिए हैं।

श्री रेवती रमण सिंहः सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शिक्षा अर्थात् एजुकेशन Concurrent List में है, आप ऐसा कहकर, सिर्फ प्रदेश सरकार पर दायित्व डालकर इस बात को टाल नहीं सकते हैं। यदि आप देखें तो आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में law colleges मशरूम की तरह बेतहाशा खुल गए हैं और उनमें कोई पढ़ाई नहीं होती है। केवल इम्तिहान, वे भी नकल के द्वारा कराकर पूरी फीस ले ली जाती है। मंत्री जी, क्या उसकी रोकथाम करने के लिए आप सेंटर से कोई प्रावधान करेंगे ताकि इस तरह का जो धंधा चल रहा है उसको रोका जाए जो छात्र यहाँ से पढ़कर निकलें, वे बेचारे लॉ के बारे में कुछ जानें? उनको लॉ की ए,बी,सी,डी भी मालूम नहीं है, उन्हें केवल डिग्री मिल जाती है। वहाँ टीचर्स भी नहीं हैं, वहाँ एक भी टीचर नहीं है, चाहें तो आप जाँच कराकर देख लीजिए।

श्री प्रकाश जावडेकरः सभापति महोदय, जहां तक लॉ यूनिवर्सिटीज़ का प्रश्न है, मैं यह कह सकता हूँ कि ये लॉ यूनिवर्सिटीज़ राज्यों के कानून से बनी हैं। हर राज्य में अलग कानून है, लेकिन इनको एक दर्जा प्राप्त है। इसमें 18 यूनिवर्सिटीज़ का कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है। जब बच्चे कॉमन एडमिशन टेस्ट से आते हैं, तो अच्छे छात्र होते हैं और वे पांच साल का इंटिग्रेटेड कोर्स करते हैं। जिसको वकील बनना होता है, वही वकील बनने के लिए इसमें आता है और इसलिए उसको इससे बहुत फायदा मिलता है। इन यूनिवर्सिटीज़ का दर्ज़ा ऐसा नहीं है, जैसा आप कह रहे हैं। आप बाकी लॉ-कॉलेजों की बात कर रहे होंगे, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ से हों। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की देखरेख हम करते हैं। जो सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी देखरेख हम करते हैं, लेकिन स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की देखरेख राज्य सरकारें करती हैं, उनको हम मदद करते हैं।

DR. SUBRAMANIAN SWAMY: Mr. Chairman, Sir, the answer to part (a) states, "For the present there is no such proposal to grant them the status of Institutes of National Importance." The reason given is that these Universities have been formed under the State Acts. Now, education is a Concurrent subject, and furthermore, the law is all-India. There is no State law. We are not that kind of a federal country where our States can have their own law. There is only one CrPC, there is only one IPC, etc. So, in view of the fact that the subject-matter is national, the name of these universities is 'National', the proposal awaited is that you want to make it 'Institute of National Importance', then why not have all the States agree to, or, through an Ordinance, you can make all these National Law Universities into an all-India institute so that this problem can be solved and a uniformity in teaching can be maintained.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Sir, there seems to be a little confusion. Let me clarify further that yes, this is a federal structure of Constitution and governance where States pass the laws for each University. We have so many State public universities as well as State private universities. For each State public and private university, the State Legislatures are empowered to pass the laws. They pass the laws and then these universities are established.

We have said that no such proposal has come. I would like to explain the reason. When we declare some institutes as the Institutes of National Importance, like we did for IIMs and IIITs, it was necessary because before that, they were able to give only diplomas, not degrees. But here, by State laws, they are already empowered to give degrees and, therefore, degrees are granted. So, there is no demand to declare them as Institutes of National Importance.

DR. SUBRAMANIAN SWAMY: I was saying that you should nationalise them. You have the powers, as it is a Concurrent subject.

MR. CHAIRMAN: That is a suggestion.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Nowhere there is an issue of nationalising the education. In fact, the State Governments take it up because it is in the Concurrent List. Actually, education was in the State List till 1975. In 1975, it came in the Concurrent List. Therefore, the States must have participation and a responsibility also to maintain good standards of education.

श्री विवेक के. तन्खा : माननीय सभापति जी, मैं चार शॉर्ट प्वॉइंट्स बना कर बोल रहा हूँ।

MR. CHAIRMAN: But put only one question.

SHRI VIVEK K. TANKHA: I have four short points only and will finish within 30 seconds. The first is that the National Law University जो नाम है, it is a misnomer. It is a State University but the name is 'National Law University' because it is by a State legislation. So, there should be no doubt on that. But the real point I am making is that CLAT, that is, Common Law Admission Test, came only because आज से आठ-दस साल पहले जब मेरा बेटा चार-पांच टेस्ट्स में बैठा था, दो दिन में उसने छह स्टेट्स भी दिए थे। So, I went to the Supreme Court and I told the Supreme Court that when engineering and medical colleges could have a common entrance test, why the law colleges could not have the same. उसमें पन्द्रह मिनट तक सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए तैयार नहीं था और कह देते थे कि हम कैसे कर सकते हैं, चीफ जस्टिसेस इन्वॉल्व हैं, चीफ जस्टिंस ऑफ इडिया अलग हैं? Ultimately, they issued notice and the memorandum was signed.

Now, what I am requesting is that the memorandum should be extended to all the universities. पांच-छह यूनिवर्सिटीज़ इसमें छूटी हुई हैं। अल्टीमेटली बच्चों को दूसरे एग्ज़ाम भी देने पड़ते हैं, which becomes very tedious for the children.

नंबर दो, इस वक्त एक बहुत important aspect सामने आया है कि इसमें बहुत सारे गरीब बच्चे select हो रहे हैं। गरीब बच्चों का एक एसोसिएशन बना है, जो फीस नहीं दे पा रहे हैं। In fact, मैं खुद इस वक्त बार एसोसिंएशस और एडवोकेट्स से request कर रहा हूँ to please contribute so that these children can study but I would like the Government of India also to take initiative, ताकि वे गरीब बच्चे, जो CLAT में आ रहे हैं, फीस के अभाव में उनका admission न रोका जाए।

श्री प्रकाश जावडेकरः सर, सम्माननीय सदस्य विवेक तन्खा जी ने जो कहा, वे प्रसिद्ध एडवोकेट हैं, CLAT कैसे लाया गया, उन्होंने उसकी कहानी बताई कि उनके बेटे को ही 6 जगह admission के लिए टेस्ट देने के लिए जाना पड़ा। आप ऐसे अच्छे केसेज करते जाइए, बाकी करने की

जरूरत नहीं है। लेकिन आपका जो सुझाव है कि तीन यूनिवर्सिटीज़ बची हैं, जो उसमें शामिल नहीं हुई हैं, उसके बारे में आप जरूर proposal दीजिए। अगर हम उसमें कुछ कर सकते हैं, तो जरूर करेंगे, लेकिन यह MoU है। यह उनका आपसी agreement है, हम उसमें दखल नहीं देते। If you have some good suggestions, they are welcome.

MR. CHAIRMAN: Thank you. Question 197. Shri D. Raja.

SHRI VIVEK K. TANKHA: Please also see the. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN:This Question is over. Please. ...*(Interruptions)*...

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Please give me the suggestion, we will definitely look into it. ...*(Interruptions)*...

Release of Indian fishermen arrested by Sri Lankan Navy

*197.SHRI D. RAJA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Sri Lankan Navy continues to arrest Indian fishermen and they have lately arrested seven fishermen from Mandapam and confiscated their two trawlers on charges of engaging in bottom trawling, if so, the details thereof; and

(b) what is the number of fishermen and trawlers in their custody, at present, and what measures are being taken to get them released?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Instances of Indian fishermen apprehended for allegedly fishing in Sri Lankan waters have been reported from time to time. Seven Indian fishermen along with their two trawlers bearing registration numbers IND/TN/11/MM/346 and IND/TN/11/MM/227 from Ramanathapuram District in Tamil Nadu were apprehended by Sri Lankan Navy on 12 July, 2017 for allegedly poaching in Sri Lankan territorial waters. The fishermen along with the trawlers were handed over to Assistant Director Fisheries and Aquatic Resources, Jaffna by the Sri Lankan Navy on 13 July, 2017 and were subsequently produced before the Court and remanded to judicial custody till 27 July, 2017. The fishermen were